निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 10/2021 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना कोटपूतली, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

शीशराम पुत्र श्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी ढिढोर थाना बहरोड, जिला अलवर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत जब्तशुदा 2640 लीटर डीजल व वाहन पिकअप संख्या आरजे–32 जीसी 3798 को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. सहायक लोक अभियोजक विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
2. श्री आर॰एन॰ चौधरी व जीतेन्द्र कुमार गोयल अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक 28.02.2022**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.2021 को श्री दिनेश कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त कोटपूतली द्वारा दौराने नाकाबन्दी 8.00 ए एम पनियाला मोड की तरफ से एक पिकअप गाडी नं॰ आर जे–32 जी सी 3798 की तलाशी लेने हेतु रूकवाया जाकर चालक का नाम व पता पूछा तो चालक ने अपना नाम शीशराम पुत्र श्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी ढिढोर थाना बहरोड जिला अलवर होना बताया। पिकअप व गाडी को चैक करने पर पिकअप में 12 ड्रम डीजल के भरे हुये मिले। प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त ड्रमों में कुल 2640 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार पिकअप चालक शीशराम के द्वारा इतनी बडी मात्रा में डीजल भर कर पिकअप से परिवहन करने बाबत अनुज्ञापत्र व डीजल के बिल पेश करने के लिए कहा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र व बिल वगैरह नहीं होना बताया तथा उक्त डीजल हरियाणा से कय कर लाना बताया। इस पर उक्त पिकअप व शीशराम को डिटेन कर पुनः शीशराम से पूछताछ की गई तो उक्त डीजल हरियाणा से लाना बताया एवं परिवहन करने के संबंध में अपने पास कोई अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया एवं ना ही उक्त डीजल के संबंध में कोई बिल होना बताया। पिकअप गाडी में भरे हुये प्लास्टिक के 12 ड्रमों को चैक किया गया तो प्रत्येक ड्रम डीजल से भरे हुये मिले एवं प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार शीशराम गुर्जर के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र व बिलों के इतनी भारी मात्रा में डीजल का परिवहन करना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की नोयत का पाया गया। 12 ड्रमों में से नमूना सैम्पल लेकर शेष डीजल को बतौर वजह सबूत जब्त कर किया गया। उक्त डीजल के परिवहन करने में प्रयुक्त ली

जिला कलक्टर
जयपुर

गई पिकअप नम्बर आरजे 32 जीसी 3798 को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। अतः जब्त शुदा 12 ड्रम कुल 2640 लीटर डीजल को राजसात (Confiscate) करने का निवेदन किया है।

2. धारा 6–ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पूर्व में प्रकरण संख्या 04/2021 दर्ज किया जाकर दिनांक 30.09.2021 को डीजल व पिकअप को राजसात किये जाने के आदेश दिये गये थे, जिसके विरूद्व अपील किये जाने पर माननीय अतिरिक्त शेषन न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर के प्रकरण संख्या फौजदारी अपील 05/2021 (54/2021) एन.एस.वी. नं. 56/2021 उनवानी शीशराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16 नवम्बर 2021 से प्रकरण में धारा 6 ख की पालना कर पुनः निर्णय पारित किये जाने के लिए रिमाण्ड किया गया है। धारा 6 ख के नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आर एन चौधरी व श्री जीतेन्द्र कुमार गोयल उपस्थित है। विपक्षी अधिवक्ता ने कोई जबाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस करना चाहा।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विभागीय पैरोकार ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हये कथन किया पिकअप नं. आरजे–32 जीसी 3798 की तलाशी लेने पर पिकअप व गाडी को चैक करने पर पिकअक में 12 ड्रम डीजल के भरे हुये मिले। प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त ड्रमों में कुल 2640 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। जबकि 2500 लीटर तक पैट्रोलियम पदार्थ ही बिना अनुमति के कोई व्यक्ति भण्डारण व परिवहन कर सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी शीशराम गुर्जर के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में डीजल का परिवहन करना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की नोयत का पाया गया। अप्रार्थीगण की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति प्रकट होती है। थानाधिकारी द्वारा केवल डीजल को राजसात किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, किन्तु डीजल को परिवहन की जाने वाली पिकअप को भी जब्त किया गया है जिसे राजसात किये जाने में कोई विधिक बधा नही है। इसी कारण पूर्व में भी उभय पक्ष को सुन कर उक्त डीजल व पिकअप को राजसात किये जाने के आदेश दिनांक 30.09.2021 को दिये गये थे, जो उचित है। अतः जब्तशुदा डीजल व पिकअप नम्बर आरजे–32 जीसी 3798 को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी उक्त वाहन से अपनी आजीविका कमा रहा है तथा उसके दैनिक उपयोग व उपभोग में काम आने वाला है । उक्त वाहन के अभाव में अप्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है और यदि उक्त वाहन प्रार्थी को रिलीज नहीं किया गया तो अप्रार्थी बेरोजगार हो जावेगा तथा उसके परिवार के ऊपर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जावेगा। अप्रार्थी ने मौके पर पुलिस को उसके वाहन में रखे हुए डीजल के बिल आदि भी दिखाये थे, लेकिन पुलिस ने उक्त डीजल को हरियाणा से लाना मान लिया था। जबकि अप्रार्थी उक्त डीजल को मैसर्स दुर्गा फिलिंग स्टेशन कोटपूतली से लेकर आया था जो विभिन्न फर्मो कमशः ओम ग्रीट उद्योग, श्याम बाबा उद्योग, महेश कुमार अग्रवाल व नृसिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी का उनके केशर पर चलने वाली मशीनों, जेबीसी व डम्पर आदि के लिए था तथा उक्त समान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रार्थी को मात्र किराया प्राप्त होता है जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन पुलिस द्वारा प्रार्थी की कोई बात नहीं सुनी गई और उच्चाधिकारियों में वाहीवाही लूटने के लिए हरियाणा से डीजल लाना बता

जिला कलक्टर
जयपुर

कर अप्रार्थी को गिरफ्तार कर उसके वाहन को प्रकरण में जब्त कर लिया गया। जबकि पुलिस द्वारा वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण में जब्त डीजल व पिकअप को रिलीज करने के आदेश फरमावें।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 09.09.2021 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी श्री दिनेश कुमार वृत्ताधिकारी वृत्त कोटपूतली जिला जयपुर ग्रामीण ने दिनांक 09.09.2021 को अप्रार्थी को 2640 लीटर डीजल अवैध रूप पनियाला मोड़, हरियाणा सीमा के पास परिवहन करते पकड़ कर डीजल व पिकअप को जब्त किया गया है। प्रार्थी ने धारा 6–ए के प्रार्थना पत्र में जब्त डीजल हरियाणा से लाना बताया है, किन्तु अप्रार्थी ने दौराने बहस डीजल के बिल कोटपूतली दुर्गा फिलिंग स्टेशन के पेश किये है। यदि यह मान भी लिया जाये कि अप्रार्थी द्वारा डीजल कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान से ही क्रय किया गया है, किन्तु अप्रार्थी के कब्जे से पिकअप में कुल 2640 लीटर डीजल परिवहन करते पाये जाने पर जब्त किया गया है। जबकि एक समय में बिना अनुज्ञा के कोई व्यक्ति अधिकतम 2500 लीटर डीजल ही भण्डारित व परिवहन कर सकता है। चूंकि अप्रार्थी के पास निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में डीजल पाया गया है। जो विभिन्न फर्मो क्रमशः ओम ग्रीट उद्योग, श्याम बाबा उद्योग, महेश कुमार अग्रवाल व नृसिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का उनके केशर पर चलने वाली मशीनों, जेबीसी व डम्पर आदि के लिए ले जाना अप्रार्थी ने स्वीकार किया है। इससे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनीयति पूर्णतया सिद्व होती है। प्रकरण में मेन्सरिया भी पाया गया है। अतः बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे जब्त शुदा डीजल 2640 लीटर व डीजल के परिवहन के लिए प्रयोग में लिए गये वाहन पिकअप संख्या आरजे–32 जीसी 3798 को राजसात किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 2640 लीटर डीजल व उसको परिवहन किये जाने वाले वाहन पिकअप नम्बर आरजे–32 जीसी 3798 को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा थानाधिकारी पुलिस थाना पनियाला व जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/2/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर